न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 137/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/202

1. राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार श्रीविजयनगर —प्रार्थी

बनाम

1. गुरप्रीत सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी 40एच ए तहसील करणपुर —अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—
1. राजपैरोकार उपतहसीलदार जैतसर, प्रार्थी
2. एकपक्षीय

—:: निर्णय ::—

दिनांक :09.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोमावाली में खसरा सं. 1 में 1 बीघा, खसरा सं. 10 में 1 बीघा, खसरा सं. 114 में 190—14 बीघा, खसरा सं. 11 में 130—11 बीघा, खसरा सं. 113 में 9—06 बीघा कुल 332.11 बीघा भूमि जोहड़ मय पायतन दर्ज था। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त खसरा सं. 10 चक 17 जीएम के प.नं. 123/53 का कि.नं. 4 का 1 बीघा, खसरा सं. 11 चक 17 जीएम के प.नं. 123/59 कि.नं. 18,19,21ता23 के 5 बीघा, प.नं. 143/4 कि.नं. 21 का 1 बीघा, प.नं. 123/60 कि.नं. 1 ता 4, 6 ता 25 का 24 बीघा, प.नं. 123/52 का कि.नं. 4ता9, 11ता25 का 21 बीघा, प.नं. 123/44 का कि.नं. 16,17,24,25 का 4 बीघा, प.नं. 123/45 का कि.नं. 4ता7, 14ता17,24,25 का 10 बीघा, प.नं. 123/53 का कि.नं. 1ता3, 5ता25 का 24 बीघा, प.नं. 123/61 का कि. नं. 1ता25 का 25 बीघा, प.नं. 143/5 का कि.नं. 1,10ता12,19ता22 का 8 बीघा, प. नं. 143/6 का कि.नं. 1,2 का 2 बीघा, प.नं. 123/62 का कि.नं. 1ता5 का 5 बीघा, प.नं. 123/54 का कि.नं. 1ता5,9,10 का 7 बीघा, प.नं. 123/64 का कि.नं. 4 ता 7 का 4 बीघा कुल 141.00बीघा के रूप में सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित है तथा वर्षा के जल के भराव, भण्डारण तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। भूमि जोहड़ मय पायतन की होने के कारण राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16(2) के अनुसार भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ याचिका सं. 11153/2011 में दिनांक 29.05.2012 को इस विषय में आदेश दिया गया हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132/11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आ[illegible] किया गया हैं। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र सं. 6782—68[illegible] दिन[illegible] 24.12.2004 और राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.16(3)राज–6/[illegible]/5 दिनांक 29.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज–7/2011 दिनांक [illegible]06.2012 जारी किये गये हैं।

उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अ[illegible] की धारा 16(2) के अनुसार उक्त भूमि पर खा[illegible]री अधिकार प्रोदभूत नहीं [illegible] जोहड़ मय पायतन हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से चक 17 जीएम के प.नं. 123/46 का कि.नं. 4ता7 का 4—00 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 02.07.81 से आवंटित होकर खातेदारी दर्ज हैं। जो राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज हैं जो गैर कानूनी हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भूमि का आवंटन खारिज करते हुए भूमि को गै.मु. जोहड़ मय पायतन दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:24:01 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 01.12.2017 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया।

3. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

4. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं। प्रकरण में प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी, सूची नं. 4 आदि के अनुसार प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अतः उक्त भूमि का पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार श्रीविजयनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार श्रीविजयनगर के नाम से आदेश की पृथक से प्रति जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक [illegible] को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:24:01 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)